मुख्य अभियन्ता का कार्यालय
केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण,
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, अनिसाबाद, पटना–2

का0 आ0 सं0–01 / के0रू0(स्था0) 03–26 / 2025–__________ /   पटना, दिनांक :–

कार्यालय आदेश

सुश्री मोनाली कुमारी, बहन–स्व0 महिमा, भूतपूर्व सहायक अभियंता (यॉत्रिक), सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक–22.02.2025 को सम्पन्न बैठक की कार्रवाई ज्ञापांक–**340 / स्था0,** दिनांक–**22–02–2025** के द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं विभागीय पत्रांक–03 / स्था0–15(अनुकंपा)–01 / 2025–**3980** दिनांक–**21.08.2025** द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन / अनुमति के आलोक में अनुकम्पा के आधार पर **निम्न वर्गीय लिपिक (समूह–'ग')** के पद पर षष्ट्म पुनरीक्षित वेतनमान् पे बैंड–रू0–5200–20200+ग्रेड पे–1900 तदनुसार (सप्तम् पुनरीक्षित वेतनमान–वेतन स्तर–02) में समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अस्थायी / औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0	आश्रित आवेदक का नाम / संबंध	मृत सरकारी सेवक का नाम एवं पता	आश्रित आवेदक का जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	कोटि
1	2	3	4	5	6
1	सुश्री मोनाली कुमारी / बहन	स्व0 महिमा ग्राम / मुहल्ला–मननपुर बाजार, वार्ड सं0–8 पोस्ट–मननपुर बाजार थाना– चानन जिला–लखीसराय राज्य–बिहार पिन–811310	**04.01.1999**	स्नातक	अनुसूचित जाति

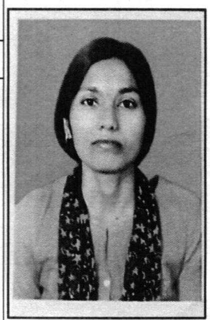

2– स्व0 महिमा, भूतपूर्व सहायक अभियंता (यॉत्रिक), ग्राम / मुहल्ला–मननपुर बाजार, वार्ड सं0–8, पोस्ट–मननपुर बाजार, थाना– चानन जिला–लखीसराय, राज्य–बिहार के माता, पिता एवं छोटे भाई का भरण–पोषण का दायित्व सुश्री मोनाली कुमारी पर होगी । उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी निष्ठा एवं तत्परता के साथ नहीं करना गम्भीर कदाचार माना जाएगा, जिसके लिए इनके विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उत्तरदायित्व की अवहेलना की सम्पुष्टि होने पर इनकी परिलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को भी देने का आदेश दिया जा सकता है ।

3– इनकी वरीयता इस परिक्षेत्र के मूल कोटि लिपिकीय संवर्ग के निर्गत वरीयता सूची में अंकित कर्मियों के बाद होगी। इनकी नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर बिन्दु पर हुई हो तब उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा ।

4– सुश्री मोनाली कुमारी, बहन– स्व0 महिमा, भूतपूर्व सहायक अभियंता (यॉत्रिक), सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर निम्नलिखित कागजात के साथ **मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, पटना** के कार्यालय में योगदान करेंगे :–

(i) नियुक्त पद पर योगदान के समय असैनिक शाल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र मूल में समर्पित करना होगा ।
(ii) भौक्षणिक योग्यता, आयु से संबंधित प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति ।
(iii) स्व0 महिमा, भूतपूर्व सहायक अभियंता (यॉत्रिक) के आश्रितो का भरण पोषण एवं देखभाल का उत्तरदायित्व निर्वाह करने संबंधी घोषणा पत्र मूल में ।
(iv) यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक है, जो मुख्य अभियंता (यॉत्रिक), जल संसाधन विभाग, पटना से प्राप्त कराये गये सत्यापित अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है ।
(v) नियुक्त पद पर योगदान करते समय अगर इनकी शादी नहीं हुई हो तो दहेज नहीं लेने देने तथा मद्यपान का सेवन नही करने संबंधी घोषणा पत्र समर्पित करना होगा ।

(vi) योगदान के समय अनियोजन संबंधी शपथ–पत्र के अभिप्रमाणित प्रति समर्पित करना होगा ।

(vii) नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु आने जाने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नही होगा।

(viii) नियुक्ति पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अंदर योगदान समर्पित करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि एवं उपर्युक्त औपचारिकताओ का पालन करते हुए योगदान नही करने पर इनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। सुश्री मोनाली कुमारी को योगदान की तिथि से वेतन एवं अन्य अनुमान्य भत्ता देय होगा।

(ix) वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–1964 दिनांक–31.08.2005 द्वारा लागू नई अंशदायी पेंशन योजना, 2005 से आच्छादित होगें।

(x) यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक रूप से की गई है । भविष्य में उक्त अभिलेखों के संबंध में गलत सूचनाएँ/प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति में सुश्री मोनाली कुमारी की सेवा बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा एवं इस संबंध में सम्यक् विधि सम्मत कार्रवाई किया जायेगा।

ह०/–
(महमूद आलम)
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक–01/के0रू0(स्था0) 03–38/2024________/ पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि– सुश्री मोनाली, बहन–स्व0 महिमा, ग्राम/मुहल्ला–मननपुर बाजार, वार्ड सं0–8, पोस्ट–मननपुर बाजार, थाना– चानन जिला–लखीसराय, राज्य–बिहार पिन–811310 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक–01/के0रू0(स्था0) 03–38/2024 ________/ पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक–01/के0रू0(स्था0) 03–38/2024–________/ पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मुजफ्फरपुर को उनके ज्ञापांक–**340/स्था0**, मुजफ्फरपुर, दिनांक–**22–02–2025** के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक–01/के0रू0(स्था0) 03–38/2024–________/ पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि– मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक), जल संसाधन विभाग, पटना को उनके पत्रांक–2019 दिनांक–26.08.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक–01/के0रू0(स्था0) 03–38/2024–________/ पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि– श्री सुशील कुमार मिश्र, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–03/स्था0–15(अनुकंपा)–01/2025–**3980** दिनांक–**21.08.2025** के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक–01/के0रू0(स्था0) 03–38/2024–1560/ पटना, दिनांक :– 03/10/25

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/10/25
मुख्य अभियन्ता
3/10/25